

17.1

लेखा शाखा/प्रमुख लेखा कार्यालय प्रभारी को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, गान्धारी/सभी अल्पसंख्यक/अल्प शाखा/अल्प शाखा (कम्प्यूटर सेल) /

दिनांक: 31/07/18

पत्रांक: 1395

प्रबंध निदेशक

रु/

जाना है ।

उक्त स्वीकृत ऋण को अल्पसंख्यक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान वार्षिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जावे कर प्रमुख लेखा कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
 ऋण से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से संचित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा ऋण की गयी सामग्रियों की शैतिक स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ढेड़ में लाभांशों द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का ऋण 30 दिनों के अन्दर में निश्चित

Sl. No	वर्ष	शुद्धि	क्र.सं.	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less Processing Charge 0.5%	Net Payable Amount
1.	37/181			MD SHAHAB UDDIN, S/o- MD ISHAQUE, VIII-KATRA PAR, PS-LAHERI, Block + PO-BIHAR SHARIF, Distt.-NALANDA-803101	A/c No.:- 30649098904	CHHAR CEMENT SHOP	300000	1500	298500
2.	40/145			FAKHRE ALAM, S/o- MD MONIRUDDIN, VIII. + PS - LAHERI, Block-BIHAR SHARIF, Distt.-NALANDA-803101	A/c No.:- 50420659043	FURNITURE SHOP	200000	1000	199000
						TOTAL	500000	2500	497500

बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के राण संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 में वर्णित 15 ढेड़ों में राज्य सम्पत्ति मूल्यांकन अल्पसंख्यक योजना अल्प योजनागत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-05.07.17 एवं 06.07.17 को चयनित आवेदकों में से निम्नलिखित आवेदकों से प्रमुख लेखा कार्यालय प्रभारी द्वारा गान्धारी जिला के उद्दिष्ट कर्माधिकारी/दस्तावेज निष्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुरोधों के आधार पर कुल 02 लाभार्थियों को उनके नाम के सामने ऑफिस ढेड़ में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रेषित गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे सूचीकृत व्यक्तियों के खाते में प्रेषित राशि सीधे सम्बन्धित लाभार्थी के आधार कार्ड आस्थापित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

स्वीकृत देश

संख्या: बी.एम.एम.एफ.सी./ पटना दिनांक:

(Email=mninocorporatna@gmail.com. website:www.bsmlc.org)

34, हाईवे रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax: 0612-2215994

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

बिहार स्टेट मार्टिनिटीज फाउंडेशन कारपोरेशन लि. पटना